प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 05 फरवरी, 2025**

विषयः- सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु के ग्राम वर्डपुर-नं0-1 तप्पा घोष के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु आपसी समझौते के आधार पर 8.100 हे0 भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 के पत्र संख्या-7939/6-1-1(सिद्धार्थनगर/भूमि) /2024-25 दिनांक 27.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-263/भू0अधि0/पर्यटन/2024-25 दिनांक 13.12.2024 के सन्दर्भ में सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु के ग्राम वर्डपुर-नं0-1 तप्पा घोष के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु आपसी समझौते के आधार पर अधोलिखित तालिकानुसार 8.100 हे0 भूमि क्रय हेतु भूमि का मूल्य, पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत एवं लिपिकीय व्यय सहित रू0 23,43,32,012.00 (रूपये तेईस करोड़ तैतालीस लाख बत्तीस हजार बारह मात्र) का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-44 के पूंजी लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय-60-भूमि क्रय मद से रू0 23,43,32,012.00 (रूपये तेईस करोड़ तैतालीस लाख बत्तीस हजार बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र0सं0	नाम काश्तकार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	सर्किल रेट हे0 में	मूल्य	4 गुना	पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1	राममिलन आदि	1995	1.4300	73 लाख	1043000	41756000	417560
2	सहीबुन्निशा	1996	0.4170	73 लाख	3044100	12176400	121764
3	मो0 युनुस	1997	0.3790	73 लाख	2766700	11066800	110668
4	चकमार्ग	1998	0.0570	73 लाख	-	-	-
5	असीउद्दीन आदि	1999	0.4700	73 लाख	3431000	13724000	137240
6	अब्दुर्रहमान आदि	2000	0.4696	73 लाख	3432700	13694800	136948
7	जैस मो0 लैस मो0	2001	0.3250	73 लाख	3272500	9490000	94900
8	अब्दुलमन्नान आदि	2002	0.7600	73 लाख	5548000	22192000	221920
9	अजीजुद्दीन आदि	2003	0.5050	73 लाख	3686500	14746000	147460
10	जमीरूल्लाह आदि	2004	0.1430	73 लाख	1043900	4175600	41756
11	रहमतुल्ला आदि	2005	1.0240	73 लाख	7475200	29900800	299008
12	मशहूरूल्ला आदि	2006	0.3880	73 लाख	2832400	11329600	113296
13	समीउल्लाह	2007	0.5620	73 लाख	4102600	16410400	164104

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

14	अतीकुर्रहमान आदि	2008	0.6850	73 लाख	5000500	20002000	200020
15	सुखनंदन आदि	2009	0.2790	73 लाख	2036700	8146800	81468
16	चकमार्ग	2010	0.107	73 लाख	-	-	-
17	सजरून्निशा आदि	2039	0254 में से 0.100	73 लाख	730000	2920000	29200
	योग	**17 गाटा**	**8.100 हे0**		**57932800**	**231731200**	**2317312**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु के ग्राम वर्डपुर-नं0-1 तप्पा घोष के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु आपसी समझौते के आधार पर 8.100 हे0 भूमि क्रय किये जाने हेतु भूमि का मूल्य, पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत एवं लिपिकीय व्यय सहित रू0 23,43,32,012.00 (रूपये तेईस करोड़ तैतालीस लाख बत्तीस हजार बारह मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 8,00,00,000.00 (रूपये आठ करोड़ मात्र) व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। निदेशालय द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चिन्हित भूमि प्रतिकर निर्गत किये जाने के दृष्टिगत नगरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की प्रास्थिति के अनुसार ही देय प्रतिकर की वास्तविक गणना के सम्बन्ध में पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित अधिकारी स्वंय संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

(11) प्रायोजना हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-220/दस-2024-25, दिनांक- 27.01.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, बस्ती मण्डल बस्ती।
4. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सर्वसम्बन्धित को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, सिद्धार्थनगर ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।